राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी–7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/परीक्षा/2023/6090 दिनांकः 17-10-23

–::सार्वजनिक सूचना::–

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के द्वारा आयोजित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष सत्र 2019–20 रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा **माह–जुलाई–2023** के सभी कोर्सो के दिनांक 05.10.2023 को जारी किये गये परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 19.10.2023 को दोपहर 12.00 बजे से 24.10.2023 की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जायेगें। ऑनलाईन आवेदन पत्र www.rpcraj.net पर उपलब्ध है।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन–पत्र ऑन–लाईन भरने के लिए दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैंः–

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नियम/विनियम के अनुसार होंगे।
2. अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व बेवसाईट पर वर्णित नियम एवं टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. अभ्यार्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अभ्यार्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करें।
4. अभ्यार्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु थ्योरी के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता/सकती है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग–अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन है, उदाहरणार्थः– सेक्शन–ए–और सेक्शन–बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन–ए अथवा सेक्शन–बी अथवा दोनो सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र थ्यौरी के कुल पॉच पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को राउण्ड ऑफ करते हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। फीस प्रति–उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु थ्योरी पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है, फीस प्रति उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियायत संबंधी नियम/विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल बाध्य नही होगा।
7. छात्र ऑनलाईन भरे गये पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फार्म की हार्डकॉपी (प्रिन्टेड प्रति) एवं ऑनलाईन भुगतान के बाद प्राप्त शुल्क की रसीद एवं अंकतालिका को अपने सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करवाऐं, जिससे कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त प्राप्त आवेदन–पत्रों को अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखते हुये आवेदन–पत्रों की सूची को प्रमाणित प्रिन्ट के साथ एवं आवेदन की स्थिति में छात्र की मूल/ ऑनलाईन अंकतालिका एवं यदि केवल पुर्नगणना हेतु आवेदन किया है, तो अंकतालिका की छायाप्रति ही संलग्न कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे। दस्तावेज के अभाव में भरा गया ऑनलाईन फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी–7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

8. यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यार्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के आवेदन की राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौसिल नियम/विनियम–2015 के शेड्यूल 16 (11, 12) निम्नानुसार हैः–

क्र सं.	विवरण	शुल्क
1	पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/–
2	पुनर्गणना शुल्क प्रति पेपर	200/–

समस्त संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र/छात्राओं को आप अपने स्तर से सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2023 से 24.10.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा ऑनलाईन स्वीकार किये जा रहे है।

दिनांक 26.10.2023 से 27.10.2023 तक पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सूची की सत्यापित हार्ड प्रति कौंसिल कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 26.10.2023 से 27.10.2023 को सायं 05:00 बजे के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की हार्ड प्रति स्वीकार नही की जावेगी।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/परीक्षा/2023/6090

दिनांकः 17-10-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. एजेन्सी को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।

(परीक्षा नियंत्रक)
राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल,
जयपुर।